रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3217] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2019/आश्विन 5, 1941
No. 3217] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2019/ ASVINA 5, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2019

का.आ. 3528(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4893(अ), तारीख 18 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 19 सितम्बर, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर प्रति में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, दारोजी भालू अभयारण्य कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले के हास्पेट और संदूर में स्थित है और यह 82.72 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और 15° 14° उत्तरी से 15°07उ. अक्षांश तथा 76° 31 से 76° 40 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इस अभयारण्य को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 26क के उपखंड (ख) के अधीन आरम्भ में 55.873 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को दारोजी भालू अभयारण्य के रुप में अधिसूचित करने वाली कर्नाटक सरकार की अधिसूचना सं. एफ ई ई 159 एफ डब्ल्यू एल 91 तारीख 17 अक्टूबर,1994, द्वारा बनाया गया था और आगे वर्ष 2008 में कर्नाटक सरकार ने बुक्का सगारा आरक्षित वन क्षेत्र के 26.85 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त क्षेत्र को अपनी अधिसूचना सं. एफ ई ई 119 एफडब्लयू एल 2008, तारीख 3 अक्टूबर, 2008, द्वारा दारोजी भालू क्षेत्र के अभयारण्य के रुप में अधिसूचित किया है। वर्तमान में दारोजी भालू अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 82.72 वर्ग किलोमीटर है;

और, दारोजी भालू अभयारण्य भारत में केवल ऐसा अभयारण्य है जो संकटापन्न स्तनपायी भारतीय रीछ (*मेलर्सस अरसिनस*), के संरक्षण के लिए स्पष्टतया घोषित किया गया है। इस अभयारण्य में शैलमय शिलाखंड और गुफाँएं, झाड़ीदार जंगल और भू-भाग, रीछों तथा चीतों के लिए अभीष्ट प्राकृतिक आवास बनाए हैं;

और, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और वन्यजीव कार्यकर्ताओं की सहायता से वन विभाग द्वारा अपनाई गई कठोर संरक्षक संबंधी पद्धतियों के कारण दारोजी भालू अभयारण्य का पुनरुद्धार किया गया है और संपूर्ण पारिस्थितिकीय प्रणाली में पूर्णतया परिवर्तन किया गया है। संपूर्ण अत्युर्वर वनस्पति दठूठों से और भालूओं तथा पक्षियों द्वारा किए गए बीज छितराव द्वारा पुनःजीवित की जाती है। कभी बंजर, विकृत हुए जंगल अब हरे भरे हो गए हैं। उत्तरी कर्नाटक के झाड़ीदार वन में विशिष्ट पादपों की असंख्य प्रजातियां यहां दिखाई देती हैं। क्योंकि जंगल को पुनःजीवित किया गया है, इसलिए वन्य जीव यहां फलफूल रहा है। भारतीय रीछों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तेंदुआ, साही, साल, सियार, ब्लैक नेप्पड खरगोश, लाल नेवला और आदि की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है और यहां लगभग पक्षियों की 150 प्रजातियां जिनमें येलो-थ्रोटेड बुलबुल, पेंटेड स्पर मटरमुर्गा भी है, पहचान की गई है तथा यहां स्टार कछुआ, अजगर, रसल वाइपर, रेड सैन्ड बोआ, कोबरा जैसे सरीसृप और बहुत से सांप दिखाई देते हैं;

और, दारोजी भालू अभयारण्य, जिसका विस्तार और सीमाऐं पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, तथा जैव प्रौद्योगिकी पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिला में दारोजी भालू अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1.0 किलोमीटर से 4.7 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र दारोजी भालू अभयारण्य को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है), के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा दारोजी भालू अभयारण्य के चारो ओर 1.0 किलोमीटर से 4.7 किलोमीटर तक है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 158.70 वर्ग किलोमीटर है।

(2) दारोजी भालू अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रुप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के दारोजी भालू अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख, उपाबंध-IIग,** और **उपाबंध-IIघ** के रुप में संलग्न है।

(4) दारोजी भालू अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रुप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की शासकीय तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार की जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग;

(xii) राजमार्ग; और

(xiii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और पैराग्राफ-4 में सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटर समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग**.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए उपरोक्त कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) पैराग्राफ 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों**.- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा;

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी;

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे :-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथासंशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अधीन तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने और व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनकों तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगा; (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी ।
2.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।

4.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
8.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में अनुज्ञात की जाएगी: परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार बना रह सकता है:
9.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
10.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
11.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
12.	फर्मो, निगमो और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे ।
13.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
14.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:-

		परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
15.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे ।
16.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
17.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
18.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
20.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
21.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
24.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
26.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

27.	ठोस अपशिष्ट एवं प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
28.	पारिस्थितिकी-पर्यटन	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
29.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
30.	वायु और यानीय यातायात।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
31.	कृषि प्रणाली में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
32.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुगधशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
33.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है ।
41.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
43.	निम्नीकृत भूमि/ वन / वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति.- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

क्र.सं.	**मानीटरी समिति के संगठक**	**पद**
1.	क्षेत्रीय आयुक्त, गुलबर्ग	अध्यक्ष, पदेन;
2.	माननीय विधान सभा सदस्य हास्पेट निर्वाचन क्षेत्र, बेल्लारी जिला	सदस्य;
3.	पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य;
4.	शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य;

5.	प्रादेशिक अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
6.	कर्नाटक सरकार द्वारा नामांकित किए जाने वाले पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
7.	कर्नाटक सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
8.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
9.	उप वन संरक्षक, बल्लारी प्रभाग, बेल्लारी	सदस्य सचिव।

**(कर्नाटक राज्य सरकार के अधीन प्रासंगिक अनुमोदन प्राप्त करने के अतिरिक्त विधानसभा, कर्नाटक के अध्यक्ष से अनुमति, यदि आवश्यक हो)*

6. निर्देश–निबंधन:- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध V में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले कोई आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/137/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध ।

दारोजी भालू अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

तुंगभद्रा नदी (उ 15°22'46.30" पू 76°32'37.72") के किनारे पर दारोजी भालू अभयारण्य के उत्तर में बिन्दु सं. 1 स्थित है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन रेखा पूर्व कि दिशा मे सीधा बिन्दु सं.-2 (उ 15° 22' 43.76" पू 76° 34' 11.86"), की तरफ बढ़ती है, तत्पश्चात सीमा रेखा बिन्दु सं. -3 (उ 15° 21' 49.46" पू 76° 34' 12.94"), कि तरफ बढ़ती है, इसके बाद सीमा रेखा रामासागर टंक के दौर से बिन्दु सं. -4 (उ 15° 21' 39.11" पू 76° 34' 42.31 कि तरफ मुड़ती है, तब सीमा रेखा दक्षिण कि ओर तुंगभद्रा नदी के किनारे बिन्दु सं.-5(उ 15°20'51.34" पू 76°34'42.73") की ओर बढ़ती है,

इसके बाद सीमा रेखा पूर्व कि ओर नहर के साथ-साथ बिन्दु सं.-6 (उ 15°21'02.47" पू 76°35'14.71"), तक बढ़ती है तब सीमा रेखा नीचे की तरफ दक्षिण-पूर्व दिशा में बिन्दु सं.- 7 (उ 15°19' 71.32" पू 76°36'44.32"), तक बढ़ती है तब सीमा रेखा छोटी पहाड़ी कि तलहटी से बिन्दु सं.-8 और बिन्दु सं.-9 तक, मैत्री ग्राम नन्दोबस्त के सिवाय, बिन्दु सं.-9ए (उ 15°18'04.72" पू 76°37'49.21"), पर मैत्री-देवलापुरम रोड को जोड़ती है, इसके बाद सीमा रेखा रोड के साथ चलते हुए बिन्दु सं.- 10 (उ 15°17' 27.64" पू 76° 38' 23.58"), तक चलती है उसके बाद यह दक्षिण-पूर्व दिशा कि ओर बिन्दु सं. -10ए (उ 15°17'18.82" पू 76°38'11.57") तक जाती है, इसके बाद सीमा रेखा दक्षिण दिशा कि ओर मुड़ कर बिन्दु सं.- 11 (उ 15°17'01.10" पू 76°38'24.90") तक जाती है, जो कि देवलापुरम ग्राम नन्दोबस्त के बाहर स्थित है, तत्पश्चात सीमा रेखा सीधा दक्षिण- पूर्व दिशा में चलते हुए बिन्दु सं.-12 (उ 15°16'34.11" पू 76°39'41.04") तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा रेखा पूर्व में बिन्दु सं. -13 (उ 15°16'32.42" पू 76°40'23.38") तक जाती है जो कि जल नहर कि किनारे स्थित है। इसके बाद सीमा रेखा नहर के साथ-साथ दक्षिण दिशा कि ओर बिन्दु सं.-14 से होते हुए मुड़ती है तथा बिन्दु सं.-15 जो कि डरोजी टंक के उत्तरी किनारे पर स्थिती है तक पहुँचती है, इसके बाद सीमा रेखा डरोजी टंक कि सीमा के साथ-साथ बिन्दु सं.- 16 , तक इसके बाद सीधा दक्षिण-पूर्व दिशा में होरापन बिल्लेरी रोड पर स्थित बिन्दु सं.-17 तक, तत्पश्चात रोड के साथ-साथ सीमा रेखा बिन्दु सं.-18 (उ 15°13'27.43" पू 76°36'57.42"), तक, इसके बाद पूर्व में उत्तर में बिन्दु सं.-19 (उ 15°13'47.42" पू 76°36'35.52"), तक, सीमा रेखा इसके बाद पश्चिम कि ओर रेलवे लाइन सीमा पर स्थित बिन्दु सं.-20 (उ 15°13'46.22" पू 76°35' 34.38"), इसके बाद यह बिन्दु सं.-21 तक जाती है,

तथा इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा पश्चिम कि ओर रेलवे लाइन के साथ-साथ बिन्दु सं. -22, 23, 24, 25, 26, 27, के साथ बिन्दु सं. -28, तक, इसके बाद उत्तर कि ओर सीमा रेखा बिल्लिकालू पश्चिम संरक्षित वन कि सीमा पर स्थित बिन्दु सं. -29 तक जाती है इसके बाद सीमा रेखा उत्तर-पश्चिम दिशा में सीधा बढ़ते हुए बिल्लिकालू पश्चिम संरक्षित वन कि अन्यत्र पश्चिम बिन्दु पर स्थित बिन्दु-30 तक जाती है, इसके बाद सीमा रेखा पूर्व दिशा में बिल्लिकालू पश्चिम संरक्षित वन कि सीमा के साथ-साथ तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर पर स्थित बिन्दु सं.-33 तक जाती है, इसके बाद सीमा रेखा तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर के साथ बिन्दु सं.- 35, तक जाती है, इसके बाद उत्तर कि ओर मुड़ कर बिन्दु सं. - तक जाती है, इसके बाद सीमा रेखा और आगे बढ़ कर कमलुपरा-रामासागर रोड पर स्थित बिन्दु सं.-37 तक जाती है, इसके बाद सीमा रेखा उत्तर-पूर्व दिशा में रोड के साथ बिन्दु सं.- 41, तक जाती है, तथा इसके बाद सीमा रेखा उत्तर कि ओर मुड़ कर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित बिन्दु सं.-42 तक, इसके बाद उत्तर-पूर्व दिशा में चलते हुए तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित बिन्दु सं.-1 तक पहुँचती है।

उपाबंध-IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ दारोजी भालू अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

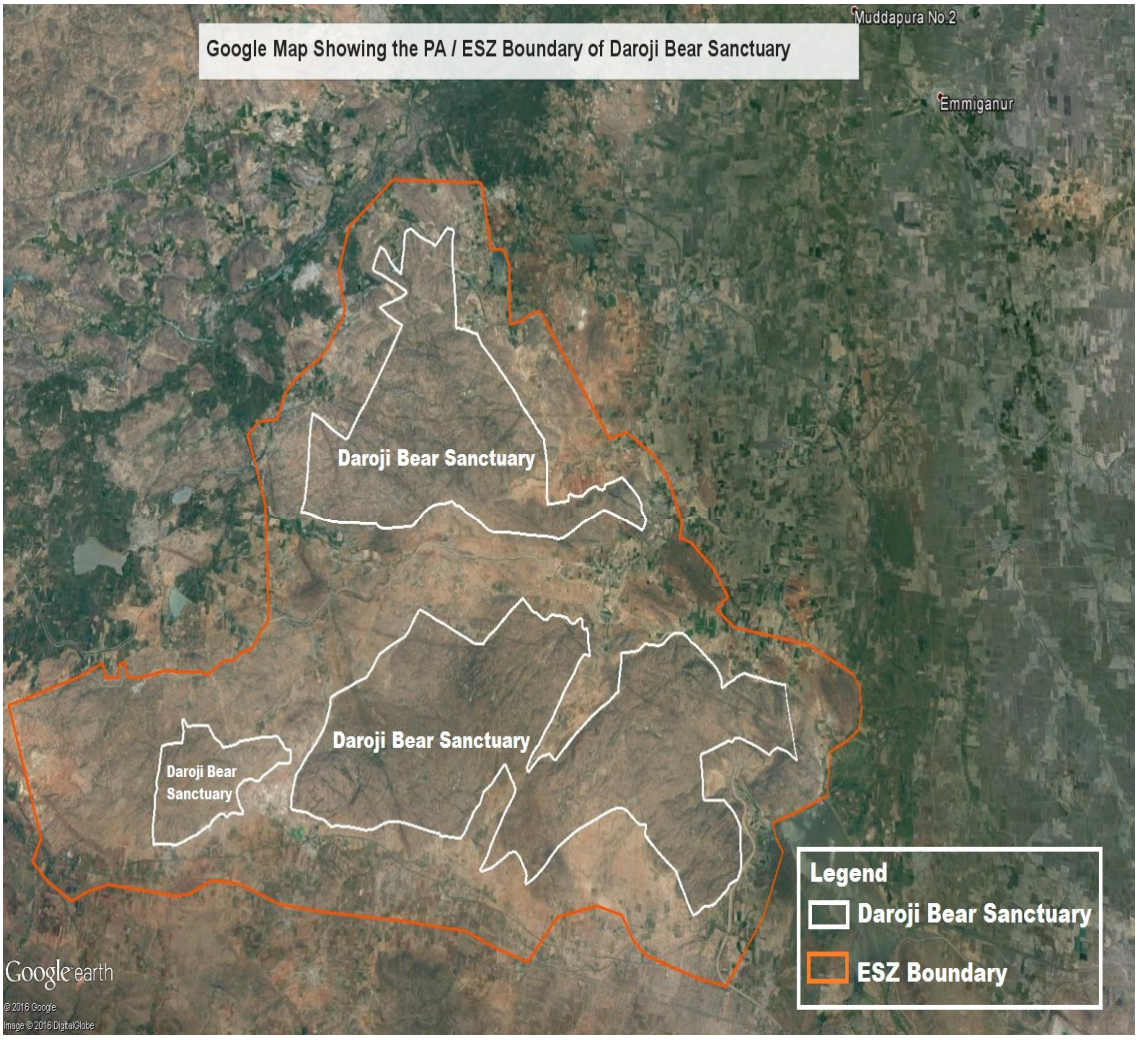

उपाबंध-IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ दारोजी भालू अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

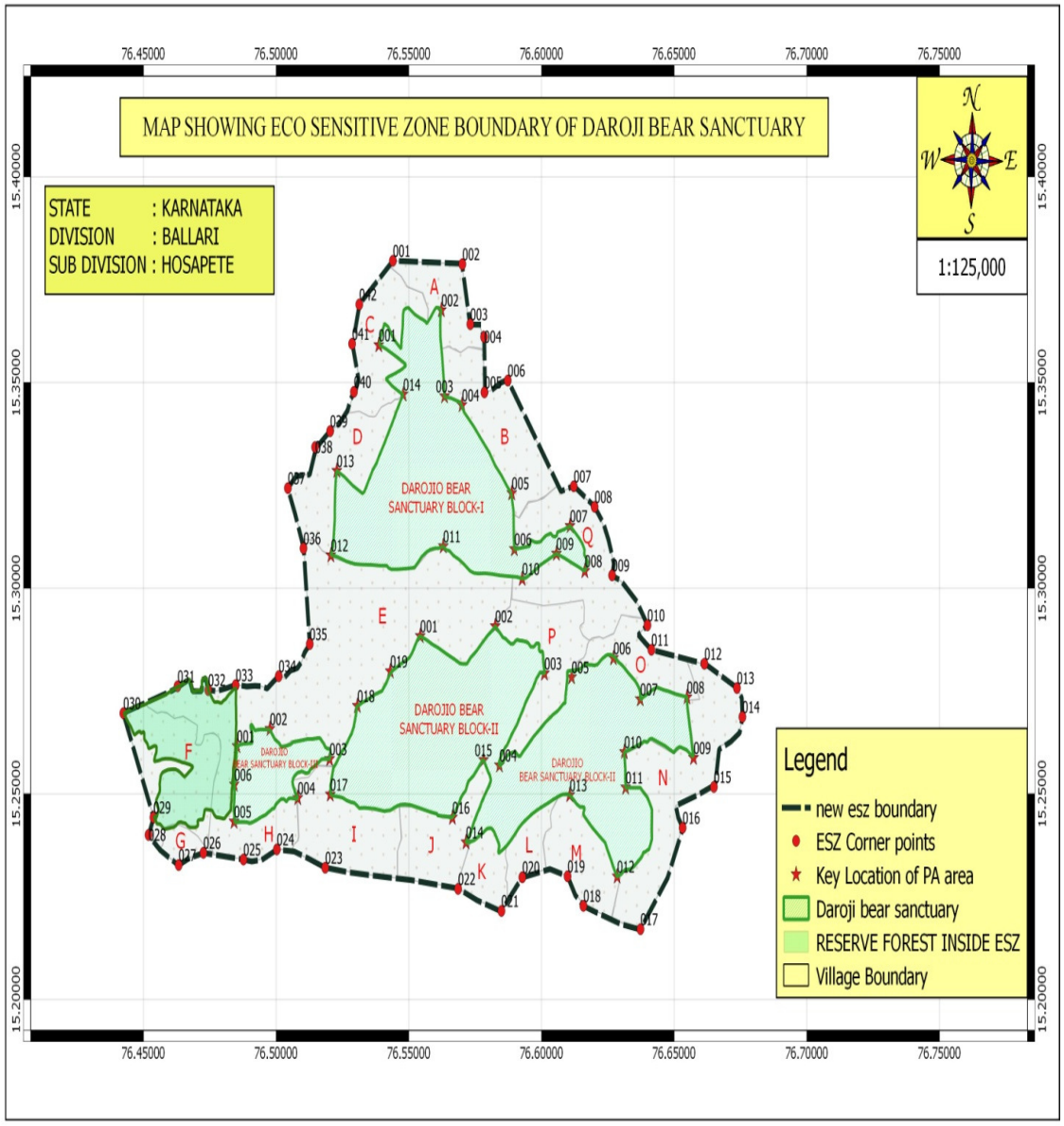

उपाबंध- ।।ग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ दारोजी भालू अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

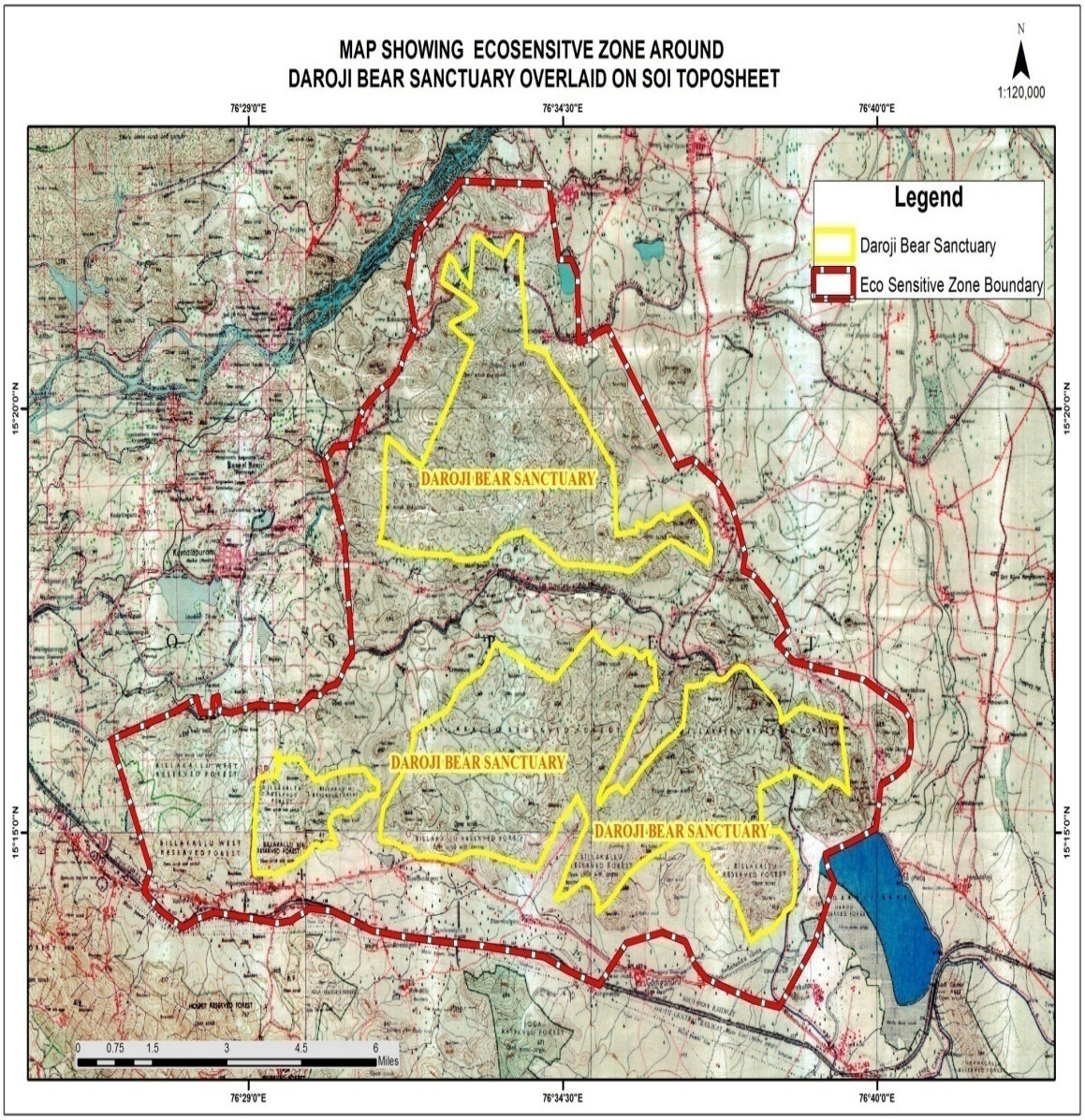

उपाबंध -IIघ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ दारोजी भालू अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भूमि उपयोग पैटर्न को दर्शाने वाला मानचित्र

उपाबंध-III

सारणी क: दारोजी भालू अभयारण्य के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

खंड - I का दारोजी भालू अभयारण्य						
	अक्षांश			देशांतर		
मानचित्र आई डी	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	15	21	31.10	76	32	20.94
2	15	22	1.67	76	33	44.21
3	15	20	47.94	76	33	48.46
4	15	20	40.20	76	34	11.96
5	15	19	23.12	76	35	19.54
6	15	18	35.71	76	35	22.85
7	15	18	52.45	76	36	38.45
8	15	18	14.15	76	36	58.72
9	15	18	28.80	76	36	20.05
10	15	18	6.77	76	35	34.94
11	15	18	34.31	76	33	46.66
12	15	18	27.11	76	31	14.23
13	15	19	40.33	76	31	22.80
14	15	20	46.43	76	32	52.08

खंड - II का दारोजी भालू अभयारण्य						
	अक्षांश			देशांतर		
मानचित्र आई डी	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	15	17	13.45	76	33	18.76
2	15	17	22.88	76	35	1.03
3	15	16	39.40	76	36	8.71
4	15	15	20.99	76	35	7.37
5	15	16	42.10	76	36	40.75
6	15	16	58.76	76	37	37.63
7	15	16	18.98	76	38	18.74
8	15	16	19.42	76	39	21.53
9	15	15	27.07	76	39	30.74
10	15	15	30.56	76	37	56.46
11	15	15	0.43	76	37	58.84
12	15	13	42.89	76	37	47.42
13	15	14	52.08	76	36	35.21

14	15	14	11.54	76	34	23.66
15	15	15	25.02	76	34	45.98
16	15	14	33.94	76	34	1.81
17	15	14	55.14	76	31	18.52
18	15	16	1.06	76	31	53.90
19	15	16	25.10	76	32	27.82

खंड - III का दारोजी भालू अभयारण्य						
मानचित्र आई डी	अक्षांश			देशांतर		
	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	15	15	46.08	76	29	10.10
2	15	15	50.76	76	29	54.56
3	15	15	25.78	76	31	15.17
4	15	14	50.60	76	30	31.75
5	15	14	30.55	76	29	6.76
6	15	15	4.90	76	29	5.78

सारणी : पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य स्थानों के भू-निर्देशांक

मानचित्र आई डी	अक्षांश	देशांतर	मानचित्र आई डी	अक्षांश	देशांतर
1	उ 15°22'46.62"	पू 76°32'38.33"	23	उ 15°13'55.43"	पू 76°31'6.51"
2	उ 15°22'43.66"	पू 76°34'12.57"	24	उ 15°14'11.49"	पू 76°30'0.92"
3	उ 15°21'51.14"	पू 76°34'23.38"	25	उ 15°14'2.65"	पू 76°29'15.61"
4	उ 15°21'39.98"	पू 76°34'42.07"	26	उ 15°14'8.51"	पू 76°28'21.24"
5	उ 15°20'51.51"	पू 76°34'42.53"	27	उ 15°13'57.81"	पू 76°27'47.67"
6	उ 15°21'1.83"	पू 76°35'14.13"	28	उ 15°14'24.15"	पू 76°27'6.78"
7	उ 15°19'29.26"	पू 76°36'43.69"	29	उ 15°14'39.46"	पू 76°27'13.48"
8	उ 15°19'11.32"	पू 76°37'12.04"	30	उ 15°16'10.68"	पू 76°26'32.63"
9	उ 15°18'11.35"	पू 76°37'35.70"	31	उ 15°16'34.17"	पू 76°27'46.10"
10	उ 15°17'27.67"	पू 76°38'23.70"	32	उ 15°16'30.93"	पू 76°28'27.76"
11	उ 15°17'6.20"	पू 76°38'29.08"	33	उ 15°16'35.29"	पू 76°29'5.00"
12	उ 15°16'53.95"	पू 76°39'41.01"	34	उ 15°16'43.09"	पू 76°30'3.44"
13	उ 15°16'32.73"	पू 76°40'25.11"	35	उ 15°17'11.20"	पू 76°30'45.52"
14	उ 15°16'7.44"	पू 76°40'32.50"	36	उ 15°18'35.00"	पू 76°30'37.01"
15	उ 15°15'6.16"	पू 76°39'53.83"	37	उ 15°19'27.65"	पू 76°30'15.86"

16	उ 15°14'30.41"	पू 76°39'11.42"	38	उ 15°20'3.58"	पू 76°30'52.82"
17	उ 15°13'1.67"	पू 76°38'14.26"	39	उ 15°20'17.52"	पू 76°31'13.19"
18	उ 15°13'22.08"	पू 76°36'56.83"	40	उ 15°20'51.94"	पू 76°31'45.45"
19	उ 15°13'47.98"	पू 76°36'35.29"	41	उ 15°21'33.98"	पू 76°31'42.96"
20	उ 15°13'47.08"	पू 76°35'33.94"	42	उ 15°22'8.39"	पू 76°31'52.71"
21	उ 15°13'17.64"	पू 76°35'5.60"			
22	उ 15°13'36.90"	पू 76°34'6.79"			

उपाबंध -IV

भू-निर्देशांकों के साथ दारोजी भालू अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन आने वाले ग्रामों की सूची

मानचित्र आई डी	ग्राम के ग्राम	तालुक	विस्तार वर्ग किलोमीटर में	अक्षांश			देशांतर			टिप्पणी
				डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री
ए	रामासागर	होसापेट	4.52	15	22	35.26	76	34	30.79	आंशिक ग्राम
बी	कनावीथीम मालापुरा	होसापेट	9.02	15	20	40.52	76	34	21.36	आंशिक ग्राम
सी	बुक्कासागर	होसापेट	6.49	15	20	58.99	76	31	55.20	आंशिक ग्राम
डी	वेंकटापुरा	होसापेट	7.93	15	19	48.65	76	30	59.90	आंशिक ग्राम
ई	कमालापुरा	होसापेट	34.80	15	16	46.09	76	31	27.52	आंशिक ग्राम
एफ	इंगालिगी	होसापेट	9.60	15	15	32.54	76	26	31.24	आंशिक ग्राम
जी	वद्दाराहल्ली	होसापेट	1.35	15	14	11.58	76	28	6.78	आंशिक ग्राम
एच	पप्पीनायाका नाहल्ली	होसापेट	4.28	15	14	19.28	76	29	19.54	आंशिक ग्राम
आई	बयालुवादीगेरे	होसापेट	8.80	15	14	32.17	76	31	31.26	आंशिक ग्राम
जे	दरमासागर	होसापेट	6.58	15	13	59.27	76	33	49.39	आंशिक ग्राम
के	कोट्टीगानल	होसापेट	3.06	15	13	9.34	76	35	0.96	आंशिक ग्राम
एल	गदीगानुरु	होसापेट	2.71	15	13	19.99	76	35	51.68	आंशिक ग्राम
एम	गोनालु	होसापेट	5.98	15	13	15.49	76	37	37.24	आंशिक ग्राम
एन	दारोजी	संदुरु	13.74	15	15	54.97	76	40	0.52	आंशिक ग्राम
ओ	देवालापुरा	होसापेट	4.74	15	16	59.48	76	38	46.18	आंशिक ग्राम
पी	उप्पाराहल्ली	होसापेट	7.34	15	17	31.88	76	36	26.24	आंशिक ग्राम
क्यू	मेतरी	होसापेट	11.07	15	18	33.08	76	37	22.44	आंशिक ग्राम
कुल :			**142.01**							

उपाबंध -V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान.-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2019

S.O. 3528(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 4893(E), dated the 18th September, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 19th September, 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, Daroji Bear Sanctuary is situated in Hosapete and Sandur Talukas of Ballari District in the State of Karnataka which spread over an area of 82.72 square kilometers and it lies between latitudes N 15° 14' to N 15°07' and longitude E 76° 31' to E 76° 40'. This Sanctuary was formed *vide* Government of Karnataka Notification No. FEE 159 FWL 91 dated 17 th October,1994, initially notifying an area of 55.873 square kilometers as the Daroji Bear Sanctuary under sub-clause (b) of section 26 A of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 Of 1972) and further, in the year 2008 the Government of Karnataka *vide* its notification no. FEE 119 FWL 2008 dated 3rd October,2008, notified an additional area of 26.85 square kilometers of Bukkasagara Reserved Forest area as Daroji Bear Sanctuary and presently, the total area of Daroji Bear Sanctuary is 82.72 square kilometers;

AND WHEREAS, Daroji Bear Sanctuary was declared specifically for the conservation of endangered mammal Indian sloth bear (*Melursus ursinus*). The rocky boulders and caves, scrub jungle and terrain in this Sanctuary become an ideal habitat for sloth bears and leopards;

AND WHEREAS, owing to the stringent conservation practices by the forest department with the support of local NGOs and wildlife activists, the Daroji Bear Sanctuary has been regenerated and the entire ecosystem has undergone a metamorphosis. The entire luxuriant flora present is regenerated from the stumps and due to seed dispersal done by the bears and birds. Once a barren and degraded jungle has now become a verdant green forest. Innumerable species of plants typical to the North Karnataka Scrub forest are seen here.

As the forests are regenerated, the wildlife is flourishing here. The population of Indian sloth bears over time has increased. The population of leopard, porcupine, pangolin, jackal, black-napped hare, ruddy mongoose and other wildlife has also increased and about 150 species of birds including rate yellow-throated bulbul, painted spur fowl have been recorded and reptiles like star tortoise, python, Russell's viper, red sand boa, cobra and many snakes are seen in the Sanctuary;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Daroji Bear Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 1.0 kilometre to 4.7 kilometre around the boundary of Daroji Bear Sanctuary, in Ballari district in the State of Karnataka as Daroji Bear Sanctuary the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 1.0 kilometre to 4.7 kilometre around the boundary of Daroji Bear Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 158.70 square kilometres.

   (2) The boundary description of Daroji Bear Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

   (3) The maps of the Daroji Bear Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC** and **Annexure-IID.**

   (4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Daroji Bear Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

   (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

   (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

   (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

      (i) Environment;

      (ii) Forest and Wildlife;

      (iii) Agriculture;

      (iv) Revenue;

      (v) Urban Development;

      (vi) Tourism;

      (vii) Rural Development;

      (viii) Irrigation and Flood Control;

      (ix) Municipal;

      (x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department;

(xii) Highways; and

(xiii) Karnataka State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) New construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) Construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
4.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law.
9.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
	B. Regulated Activities	
10.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
11.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
12.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
13.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
14.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
15.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
16.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
18.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
21.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
22.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
24.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
26.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
30.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
31.	Drastic Change of Agriculture systems.	Regulated under applicable laws. Promoted Activities.
32.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
C. Promoted Activities		
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
37.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.
38.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
39.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
40.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
41.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
42.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
43.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S N	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(1)	Regional Commissioner, Gulbarga	Chairman, ex officio;
(2)	Hon'ble Member of Legislative Assembly*, Hosapete Constituency, Ballari District	Member;
(3)	A representative of the Department of Environment, Government of Karnataka	Member;
(4)	A representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka	Member;
(5)	The Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board	Member;
(6)	A representative of Non Governmental Organization working in the field of environment to be nominated by the Government of Karnataka	Member;
(7)	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Karnataka	Member;
(8)	A representative from State Pollution Control Board	Member;
(9)	The Deputy Conservator of Forests, Ballari Division, Bellary	Member-Secretary.

**(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals inter alia including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)*

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/137/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE DAROJI BEAR SANCTUARY

The point number -1 is located at the north of the Daroji Bear Sanctuary (Bukkasgara Block) on the bank of Tungabhadra River (N 15^0 22' 46.62" E 76^0 32' 38.33") the ESZ boundary line movers straight towards east to point no.-2 (N 15^0 22' 43.66" E 76^0 34' 12.57"), then the boundary line moves towards south to point no.-3 (N 15^0 21' 51.14" E 76^0 34' 23.38"), then the boundary line movers round the Ramasagara Tank to point no.-4 (N 15^0 21' 39.98" E 76^0 34' 42.07"), then the boundary line moves south to point no.-5(N 15^0 20' 51.51" E 76^0 34' 42.53") situated on Tungabhadra Right bank canal,

Then the boundary line runs east along the canal to point no.-6 (N 15^0 21' 01.83" E 76^0 35' 14.13"), then boundary line runs down in south-east direction upto point no.- 7 (N 15^0 19' 29.26" E 76^0 36' 43.69"), then the boundary line runs along the bottom of the hillock to point no.-8 and point no-9, excluding the Metri village settlement, then the boundary line joins the Metri- Devalapuram Road then the boundary line runs along the road to point no.- 10 (15^0 17' 27.67" E 76^0 38' 23.70") then the boundary line turns south up to point no. 11 (N 15^0 17' 06.20" E 76^0 38' 29.08") located outside the Develapuram village settlement, then the boundary line runs straight in south-east direction reaching point no.-12 (N 15^0 16' 53.95 E 76^0 39' 41.01") then boundary line runs in east up to point no.-13 (N 15^0 16' 32.73 E 76^0 40' 25.11") located on the bank of the water channel, then the boundary line runs south along the water channel through point no.-14 upto point no.-15 located on the northern edge of the Daroji Tank, then the boundary line runs along the boundary of the Daroji Tank to point no.- 16 , then the boundary line runs south-east straight upto point no.-17 located on the Hospet-Ballari Road, then the boundary line runs along the road to point no. -18 (N 15^0 13' 22.08" E 76^0 36' 56.83"), then the boundary line runs towards north upto point no. -19 (N 15^0 13' 47.98" E 76^0 36' 35.29"), then the boundary line runs towards west up to point no.-20 (N 15^0 13' 47.08" E 76^0 35' 33.94"), then the boundary line runs in south to point no. -21 located on the Railway line boundary,

Then the ESZ boundary line runs west along the Railway line through point no.-22, 23, 24, 25, 26, 27, up to point no. 28, then the boundary line runs towards north to point no. 29 located on the boundary of the Bilikallu West Reserve Forest, then the boundary line runs north-west straight to point 30 loacted on the western-most point of the Bilikallu West Reserve Forest, then the boundary line runs east along the boundary of the Bilikallu West Reserve Forest upto point no. 33 located on the Tungabhadra High level canal, then the boundary line runs along the Tungabhadra High level canal up to point no.- 35, then the boundary line turns north up to point no.-36 then the boundary line moves for further up to point no.-37 located on the Kamalapura – Ramasagara Road, then the boundary line moves north-east along the road up to point no.- 41, then the boundary line turns north to point no.-42 located on the bank of the Tungabhadra River, then the boundary line runs north-east along the bank of Tungabhadra River to reach the starting point no.-1.

ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF DAROJI BEAR SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

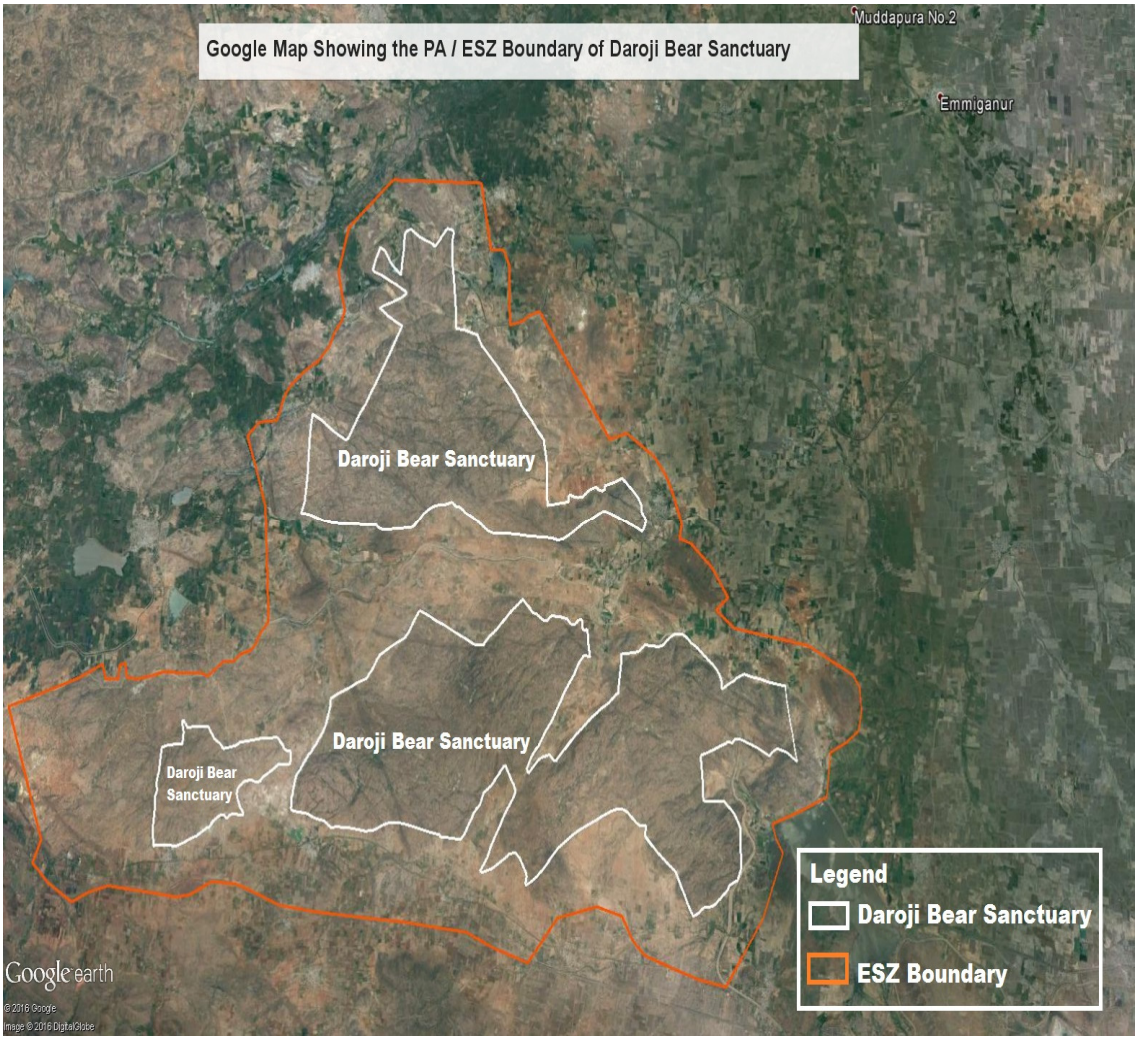

ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF DAROJI BEAR SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

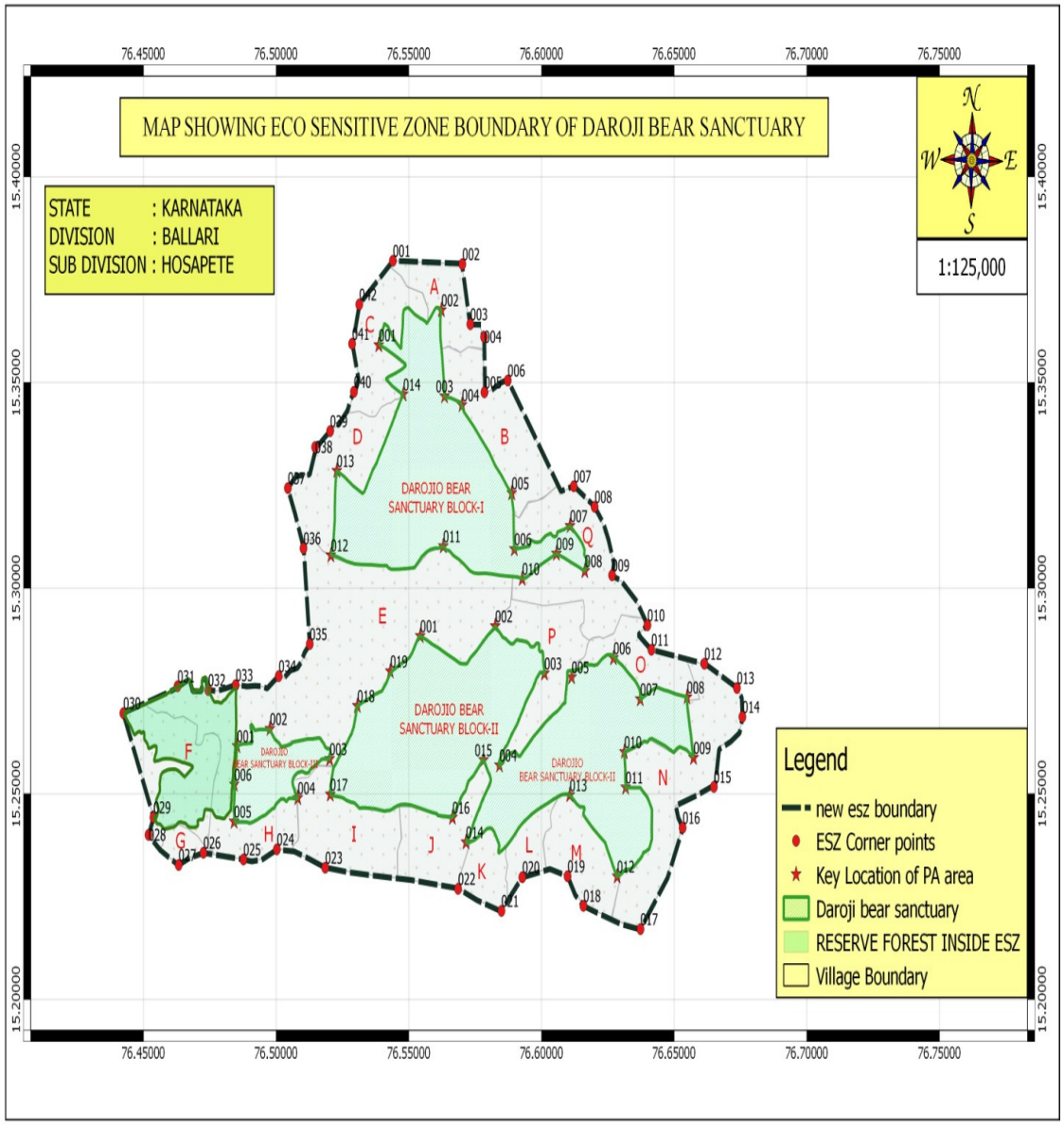

ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF DAROJI BEAR SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

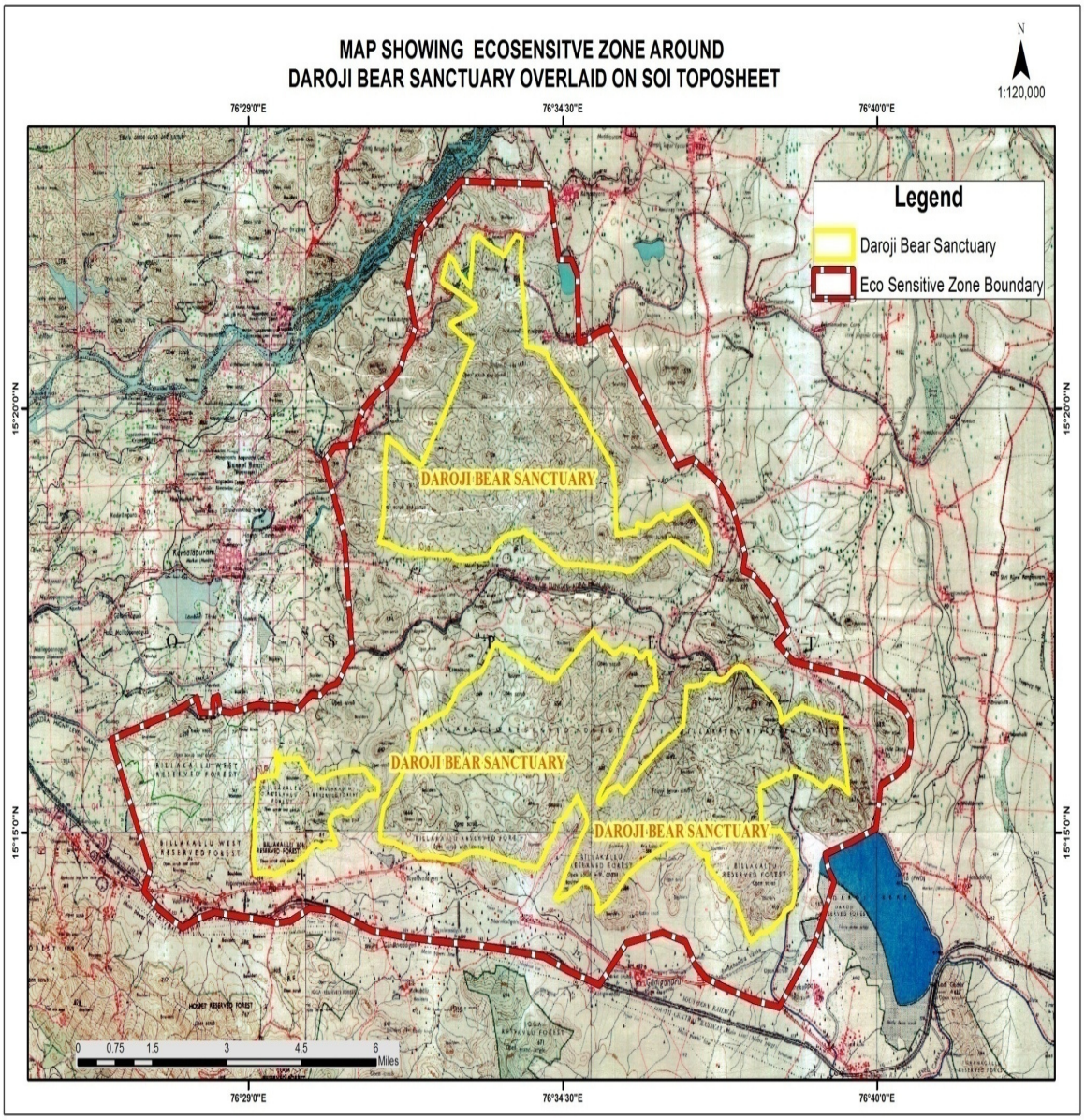

ANNEXURE- IID

MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF ECO-SENSITIVE ZONE OF DAROJI BEAR SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF DAROJI BEAR SANCTUARY

BLOCK - I OF DAROJI BEAR SANCTUARY						
Map ID	Latitude			Longitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	15	21	31.10	76	32	20.94
2	15	22	1.67	76	33	44.21
3	15	20	47.94	76	33	48.46
4	15	20	40.20	76	34	11.96
5	15	19	23.12	76	35	19.54
6	15	18	35.71	76	35	22.85
7	15	18	52.45	76	36	38.45
8	15	18	14.15	76	36	58.72
9	15	18	28.80	76	36	20.05
10	15	18	6.77	76	35	34.94
11	15	18	34.31	76	33	46.66
12	15	18	27.11	76	31	14.23
13	15	19	40.33	76	31	22.80
14	15	20	46.43	76	32	52.08

BLOCK - II OF DAROJI BEAR SANCTUARY						
Map ID	Latitude			Longitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	15	17	13.45	76	33	18.76
2	15	17	22.88	76	35	1.03
3	15	16	39.40	76	36	8.71
4	15	15	20.99	76	35	7.37
5	15	16	42.10	76	36	40.75
6	15	16	58.76	76	37	37.63
7	15	16	18.98	76	38	18.74
8	15	16	19.42	76	39	21.53
9	15	15	27.07	76	39	30.74
10	15	15	30.56	76	37	56.46
11	15	15	0.43	76	37	58.84
12	15	13	42.89	76	37	47.42
13	15	14	52.08	76	36	35.21
14	15	14	11.54	76	34	23.66
15	15	15	25.02	76	34	45.98
16	15	14	33.94	76	34	1.81

17	15	14	55.14	76	31	18.52
18	15	16	1.06	76	31	53.90
19	15	16	25.10	76	32	27.82

BLOCK - III OF DAROJI BEAR SANCTUARY						
Map ID	Latitude			Longitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	15	15	46.08	76	29	10.10
2	15	15	50.76	76	29	54.56
3	15	15	25.78	76	31	15.17
4	15	14	50.60	76	30	31.75
5	15	14	30.55	76	29	6.76
6	15	15	4.90	76	29	5.78

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Map ID	Latitude	Longitude	Map ID	Latitude	Longitude
1	N 15°22'46.62"	E 76°32'38.33"	23	N 15°13'55.43"	E 76°31'6.51"
2	N 15°22'43.66"	E 76°34'12.57"	24	N 15°14'11.49"	E 76°30'0.92"
3	N 15°21'51.14"	E 76°34'23.38"	25	N 15°14'2.65"	E 76°29'15.61"
4	N 15°21'39.98"	E 76°34'42.07"	26	N 15°14'8.51"	E 76°28'21.24"
5	N 15°20'51.51"	E 76°34'42.53"	27	N 15°13'57.81"	E 76°27'47.67"
6	N 15°21'1.83"	E 76°35'14.13"	28	N 15°14'24.15"	E 76°27'6.78"
7	N 15°19'29.26"	E 76°36'43.69"	29	N 15°14'39.46"	E 76°27'13.48"
8	N 15°19'11.32"	E 76°37'12.04"	30	N 15°16'10.68"	E 76°26'32.63"
9	N 15°18'11.35"	E 76°37'35.70"	31	N 15°16'34.17"	E 76°27'46.10"
10	N 15°17'27.67"	E 76°38'23.70"	32	N 15°16'30.93"	E 76°28'27.76"
11	N 15°17'6.20"	E 76°38'29.08"	33	N 15°16'35.29"	E 76°29'5.00"
12	N 15°16'53.95"	E 76°39'41.01"	34	N 15°16'43.09"	E 76°30'3.44"
13	N 15°16'32.73"	E 76°40'25.11"	35	N 15°17'11.20"	E 76°30'45.52"
14	N 15°16'7.44"	E 76°40'32.50"	36	N 15°18'35.00"	E 76°30'37.01"
15	N 15°15'6.16"	E 76°39'53.83"	37	N 15°19'27.65"	E 76°30'15.86"
16	N 15°14'30.41"	E 76°39'11.42"	38	N 15°20'3.58"	E 76°30'52.82"
17	N 15°13'1.67"	E 76°38'14.26"	39	N 15°20'17.52"	E 76°31'13.19"
18	N 15°13'22.08"	E 76°36'56.83"	40	N 15°20'51.94"	E 76°31'45.45"
19	N 15°13'47.98"	E 76°36'35.29"	41	N 15°21'33.98"	E 76°31'42.96"
20	N 15°13'47.08"	E 76°35'33.94"	42	N 15°22'8.39"	E 76°31'52.71"
21	N 15°13'17.64"	E 76°35'5.60"			
22	N 15°13'36.90"	E 76°34'6.79"			

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF DAROJI BEAR SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Map ID	Name of the Village	Taluk	Extent in Sq Km	Latitude			Longitude			Remarks
				D	M	S	D	M	S	
A	Ramasagara	Hosapete	4.52	15	22	35.26	76	34	30.79	Partial Village
B	Kanavithimmalapura	Hosapete	9.02	15	20	40.52	76	34	21.36	Partial Village
C	Bukkasagara	Hosapete	6.49	15	20	58.99	76	31	55.20	Partial Village
D	Venkatapura	Hosapete	7.93	15	19	48.65	76	30	59.90	Partial Village
E	Kamalapura	Hosapete	34.80	15	16	46.09	76	31	27.52	Partial Village
F	Ingaligi	Hosapete	9.60	15	15	32.54	76	26	31.24	Partial Village
G	Vaddarahalli	Hosapete	1.35	15	14	11.58	76	28	6.78	Partial Village
H	Pappinayakkanahalli	Hosapete	4.28	15	14	19.28	76	29	19.54	Partial Village
I	Bayaluvadigere	Hosapete	8.80	15	14	32.17	76	31	31.26	Partial Village
J	Darmasagara	Hosapete	6.58	15	13	59.27	76	33	49.39	Partial Village
K	Kottiganal	Hosapete	3.06	15	13	9.34	76	35	0.96	Partial Village
L	Gadiganuru	Hosapete	2.71	15	13	19.99	76	35	51.68	Partial Village
M	Gonalu	Hosapete	5.98	15	13	15.49	76	37	37.24	Partial Village
N	Daroji	Sanduru	13.74	15	15	54.97	76	40	0.52	Partial Village
O	Devalapura	Hosapete	4.74	15	16	59.48	76	38	46.18	Partial Village
P	Upparahalli	Hosapete	7.34	15	17	31.88	76	36	26.24	Partial Village
Q	Metri	Hosapete	11.07	15	18	33.08	76	37	22.44	Partial Village
Total :			**142.01**							

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.10.03 11:17:41 +05'30'